तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
8/9/25	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गईं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं जबाव प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण कुसुम गर्ग व देवेन्द्र कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) उनवान रामविलास बगै0 बनाम केदार बगै0 प्रकरण संख्या 4/22 इस न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने पर अप्रार्थी (मूल वाद के प्रार्थीगण रामविलास व बबलू) के अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 17.10.2022 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया है। इस प्रकरण के प्रार्थीगण द्वारा पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी मनगढ़ंत प्रस्तुत किया है। पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। अभिभाषक श्री सुबोध कुमार द्वारा यह कहा गया था कि सभी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए नया प्रकरण पेश करना है। नोटप्रेस में खारिज प्रकरण मेरिट पर निस्तारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी खारिज किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि प्रकरण नोटप्रेस में खारिज किया जा चुका है। उसी आधार पर पुनः प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में Res judicata लागू होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण नोट प्रेस में खारिज हुआ है। प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्व मे प्रार्थीगण (रामविलास वगैरा) के अभिभाषक द्वारा प्रकरण को नोटप्रेस में खारिज करा लिया है। वकालतनामा की इबारत के अनुसार अभिभाषक को पक्षकारों द्वारा प्रकरण	

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

को वापिस लेने के भी अधिकार दिये है। प्रकरण पूर्व में नोट प्रेस में खारिज हो चुका। समान अनुतोष का प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अगर प्रार्थीगण रामविलास बगैरा निर्णय दिनांक 17.10.2022 से व्यथित है तो नियमानुसार निर्णय दिनांक 17.10.2022 के विरूद्व कार्यवाही करे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रकरण संख्या 22/2023 उनवान रामविलास बगैरा बनाम केदार बगैरा इस स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)